पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय
विंध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 10595/ एनआर 06/सा.अ./2012/ भोपाल, दिनांक 16/11/12

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - (समस्त)
   मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - (समस्त)
   मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत समस्त म.प्र.

विषय : **विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण बाबत्।**

संदर्भ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 10489/एनआर/6/सा.अ./2012/भोपाल दिनांक 12/11/2012।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में सम्पादित किये गये कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त पत्र के माध्यम से यह अपेक्षा की गई है कि, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में किये कार्यों की जानकारी सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ता को प्रदान की जाये जिससे भौतिक सत्यापन संभव हो सके।

MGNREGS के अन्तर्गत पूर्व के वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कार्य भी वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रचलित रहे है। इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि, **मनरेगा के अन्तर्गत योजना प्रारंभ (फरवरी 2006) से वर्ष 2012-13 तक प्रचलित रहे समस्त कार्यों की सूची संदर्भित पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र क्रमांक 1 (सामुदायिक कार्य) एवं प्रपत्र क्रमांक 6 (हितग्राही मूलक कार्य) को जनपद पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ता को अनिवार्यतः दिनांक 20/11/2012 तक उपलब्ध कराई जाये।**

कार्य के लिये समय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यों को सम्पादित कराये जाना सुनिश्चित करें।

संदर्भित पत्र के निर्देश अनुसार मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिये सामाजिक अंकेक्षण की अवधि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 यथावत रहेगी।

अन्य निर्देशों को संदर्भित पत्र अनुसार पालन कराया जाये।

16/11/12
(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपी : 10596
क्रमांक /प्रशिक्षण/एनआर–06/12, भोपाल, दिनांक : 16/11/2012

1. आयुक्त, म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।

16/11/12
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग